न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 06 / 2017
प्रविष्टि दिनांक 24.04.2017

सरकार जरिये तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

............प्रार्थी

बनाम

रामकरण पुत्र श्योदान जाति गुर्जर निवासी बनेडियाखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज0

.... अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 31.12.2020**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 02.06.1984 को प्रतिपक्षीं को आ0ख0नं0 793 रकबा 3 बीघा भूमि वाके ग्राम बनेडियाखुर्द तहसील देवली में आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थी की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया है कि आवंटन दिनांक 02.06.1984 को ग्राम बनेडियाखुर्द के गत बन्दोबस्त के खसरा नम्बर 793 में रकबा 3 बीघा भूमि प्रतिपक्षी को आवंटन हुई थी। उक्त आवंटन के आधार पर बिना कब्जा काश्त व बिना सक्षम न्यायालय के आदेश मात्र आवंटन पत्र के आधार पर 10 वर्ष बाद बीसलपुर परियोजना के डूब की धारा 4 व 6 गजट प्रकाशन के उपरान्त नये भू–प्रबन्ध के खसरा नम्बर 1123 रकबा 0.75 है. को आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 147 दिनांक 21.04.1994 स्वीकृत [illegible] संवत् 2049 से 2052 के खाता संख्या 1 में उक्त गैर खातेदारी के नामा[illegible] नोट अंकित किया गया। नामान्तरकरण नियम विरूद्व होने से [illegible] 147 [illegible] 21.04.1994 को निरस्त करने हेतु तहसीलदार देवली द्वारा माननीय न्यायालय [illegible] कलेक्टर टोंक में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेन्स प्रकरण तैयार कर प्रकरण संख्या 23/2000 दिनांक 10.10.2001 को दर्ज करवाया गया। माननीय न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर टोंक द्वारा उक्त रेफरेन्स में दिनांक 31.03.2002 को निर्णय पारित कर रेफरेन्स प्रकरण को नामान्तरकरण संख्या 147 को निरस्त करने हेतु माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाया गया।
माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रेफरेन्स प्रकरण संख्या रेफरेन्स/एल आर/ 405/02/टोंक उनवान सरकार बनाम रामकरण दर्ज कर प्रकरण में दिनांक 16.12.2003 को निर्णय पारित किया " ग्राम बनेडियाखुर्द तहसील देवली के खसरा नम्बर 1123 रकबा 0.75 है. को सिवायचक से अप्रार्थी रामकरण को गैर खातेदारी देने हेतु जो नामान्तरकरण संख्या 147 दिनांक 21.04.1994 को अप्रार्थी के पक्ष में खोला गया है। उसे निरस्त किया जाता है तथा भूमि पुनः सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये।"माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश की पालना में तहसीलदार ने ग्राम बनेडियाखुर्द में खसरा नम्बर 1123 रकबा 0.75 है. भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 522 दिनांक 14.06.2004 से उक्त भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज कर दी गई। अप्रार्थी के हक मे खोले गये नामान्तकरण संख्या 147 मे भी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा होने का कोई उल्लेख नही है। मात्र आवंटन सूचि मे आवंटन का उल्लेख है।

आवंटन तिथि से आज तक आवंटी ने आवंटित भूमि को कभी काश्त नहीं की है और ना ही मौके पर आवंटी का कब्जा है। उक्त भूमि बीसलपुर बांध में डूब जाने के कारण काश्त हेतु उपलब्ध नहीं रही है। आवंटी को नामान्तकरण संख्या 147 से गैर खातेदारी अवैधानिक रूप से दिये जाने से नवीन खसरा नम्बर 1123 में से 0.75 है. रकबे पर आवंटी का कब्जे–काश्त नहीं होने से किसी प्रकार की तरमीम नहीं की गई। आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई। अतः आवंटन निरस्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस मे कथन किया कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 02.06.1984 को प्रतिपक्षीं को आ0ख0नं0 793 रकबा 3 बीघा भूमि वाके ग्राम बनेडियाखुर्द तहसील देवली मे नियमानुसार आवंटन की गई है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी काश्त करता है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है। अप्रार्थी भूमिहीन कृषक है तथा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की है। प्रार्थी 33 वर्ष बाद आवंटन को निरस्त करवाना चाहता है जो सही नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिपक्षी को भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 02.06.1984 को आ0ख0नं0 793 रकबा 3 बीघा भूमि वाके ग्राम बनेडियाखुर्द तहसील देवली मे आवंटन किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है,आवंटी का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है, आवंटी सद्भावी कृषक नही है। विवादित भूमि आज दिनांक तक काश्त नही की गई है।

अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी काश्त करता है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है। अप्रार्थी भूमिहीन कृषक है तथा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की है,परन्तु इसकी तायद मे कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये है।

पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेजात नही है जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन होने के पश्चात उक्त भूमि काश्त की गई हो।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 14 की उपधारा (3) मे आवंटिती को आवंटन के प्रथम वर्ष मे भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पडेगा और शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष मे आवश्यक रूप से जोतने की शर्त है,परन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त नियम की पालना मे आवंटित भूमि को तत्समय नही जोता तथा उसके पश्चात भी आज तक नही जोता है।

आवंटी द्वारा आवंटित भूमि मे काश्त न कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है। राज्य सरकार का उद्देश्य भूमिहीन कृषको को भूमि आवंटन कर उनके द्वारा भूमि काश्त कर उसके जीविकोपार्जन हेतु दिये जाना है,परन्तु जब आवंटी द्वारा भूमि काश्त नही की जाती है तो उस आवंटन का कोई औचित्य नही रहता है। अतः ऐसी स्थिति मे आवंटन यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी रामकरण पुत्र श्योदान जाति गुर्जर निवासी बनेडियाखुर्द तहसील देवली जिला टोंक को दिनांक 02.06.1984 को ग्राम बनेडियाखुर्द की आ0ख0नं0 793 मे रकबा 3 बीघा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner